न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 37/20 वर्ष 2020

GCMS No- 2020/00142

बउनवानीः— लडडू पुत्र फुल्या जाति गुर्जर निवासी धमूण कलां, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, सवाईमाधोपुर, ए—45—46 तिरपति बिहार ब्लॉक ई छत्रपुरा बूंदी, हाल सवाईमाधोपुर
3. जयनारायण पुत्र फूल्या गुर्जर निवासी धमूण कलां, तहसील सवाईमाधोपुर
4. रामस्वरूप पुत्र फूल्या गुर्जर निवासी धमूण कलां, तहसील सवाईमाधोपुर
5. गिर्राज पुत्र कालू गुर्जर निवासी धमूण कलां, तहसील सवाईमाधोपुर
6. नटी पुत्री कालू गुर्जर निवासी धमूण कलां, तहसील सवाईमाधोपुर
7. रामसिंह पुत्र कालू गुर्जर निवासी धमूण कलां, तहसील सवाईमाधोपुर
8. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना अन्तर्गत धारा 64 राईट टू फेयर कम्पेशेषन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एक्ज्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड डी सेटलमेंट एक्ट,2013 विरूद्व नोटिस कमांक एनएच.148एन 2019/439 दिनांक 12.2.2020 ख0स0 84 रकबा 0.1677 वाके ग्राम धमूण, कलां (अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर) भूमि अवाप्ति अधिकारी जिला सवाईमाधोपुर),

उपस्थितः—1. श्री कमल कुमार गुर्जर। वकील प्रार्थी

2. श्री चरतलाल मीना वकील अप्रार्थी 3—7

—: **निर्णय** :— **दिनांक 06.04.2021**

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64 राईट टू फेयर कम्पेशेषन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एक्ज्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड डी सेटलमेंट एक्ट,2013 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी की भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त किये जाने बाबत जारी नोटिस कमांक एनएच.148एन 2019/439 दिनांक 12.2.2020 विधि विरूद्व व वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने के कारण उक्त नोटिस को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। विपक्षी संख्या 2 बावजूद तामील नोटिस उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर बहस वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:46:06 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया आराजी ख0न0 84 [illegible] 1.51 है0 का लडडू, जयनारायण पुत्र फूल्या 1/2 ,बिलास,रामस्व[illegible] पुत्र फूल्या 1/4,गिर[illegible] रामसिंह पि0

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

कालू 11/60, नटी पुत्री कालू 1/5 भाग के हिस्से के खातेदार थे। जिनका खाता संख्या 281 है जिसमे ख0न0 79,85,86,87,910,921,922,1166,1781,1782,1800,1803,1948 कुल किता 14 कुल रकबा 6.98 है0 था। जिसका खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कर लिया तथा विभाजन के मुताबिक नामा संख्या 935 दिनांक 11.9.2019 को प्रार्थी लडडू के हिस्से मे ख0न0 84 मे से 2310/84 रकबा 0.68 है0 भूमि आयी है तथा ख0न0 84 रकबा 0.83 है0 गिरार्ज, रामसिंह पिसरान कालू, नटी पुत्री कालू के हिस्से मे आया है। इस प्रकार ख0न0 84 रकबा 1.51 है0 के दो ख0न0 बनाये गये जिसमे 84 का पूर्वी भाग 2310/84 रकबा 0.68 तथा पश्चिमी भाग 0.83 है0 कायम किया गया है जिसमे से प्रार्थी के हिस्से मे आया 2310/84 रकबा 0.68 है0 सम्पूर्ण भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 148 के लिए अवाप्त कर लिया लेकिन कागजो में 0.51 है0 ही अवाप्त करना बताया गया है। जबकि वास्तव मे प्रार्थी के हिस्से के ख0न0 2310/84 के सम्पूर्ण रकबा 0.68 है0 एन.एच.148 के निर्माण मे उपयोग हुआ है न्यायालय चाहे तो वास्तविक मौका रिपोर्ट तलब कर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह तर्क भी दिया कि सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारन के बीच मे बंटवारा होने से पहले जमाबंदी मे हो रहे इन्द्राज के मुताबिक अवाप्तशुद्वा जमीन को समस्त खातेदारान की बताकर समस्त खातेदारो को अपने-अपने हिस्से के अनुसार नोटिस कमांक 439 दिनांक 12.2.2020 को जारी किया गया है जबकि दिनांक 11.9.2019 को ही अवाप्तशुद्वा जमीन का ख0न0 नम्बर 84 के स्थान पर ख0न0 2310/84 रकबा 0.68 कायम कर दिया और मुताबिक बंटवारे प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज की गयी है इसलिए अवाप्तशुद्वा भूमि का सम्पूर्ण मुआवजा नोटिस केवल प्रार्थी को मिलना चाहिए था साथ ही प्रार्थी के पक्ष में निर्णय होना चाहिए था। उक्त भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान अन्य सहखातेदारन को नही करने बाबत सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 18.9.2019 व 30.1.2020 को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जिसपर कोई कार्यवाही नही की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के ख0न0 2310/84 रकबा 0.68 है0 की मौके पर माप करवायी जाकर जितनी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के काम आयी है उसका मुआवजा प्रार्थी को दिये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को निर्देश प्रदान करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मुताबिक बटवारा ख0न0 2310/84 रकबा 0.68 है0 प्रार्थी लडडू पुत्र फूल्या के हिस्से मे तथा ख0न0 84 रकबा 0.83 है0 अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 के हिस्से मे आया है। जिसका मुआवजा वास्तविक माप करवाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 को ही दिया जावे हम अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का उक्त मुआवजा राशि से कोई लेना देना नही है। तथा उक्तानुसार मुआवजा दिये जाने पर हम अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 की पूर्ण सहमति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:46:06 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया जाने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 के हिस्से की सामलाती की भूमि ख0न0 84 रकबा 1.51 है0 को राष्ट्रीय राजमार्ग

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

संख्या 148 के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अवाप्त किये जाने हेतु दो नोटिस कमश कमांक/भूमि अवाप्ति/एन.एच.148एन/2019/181 दिनांक 16.2.2019 जिसमे ख0न0 84 मे से 0.3719 है0 भूमि अवाप्त किया जाना दर्शाया गया है तथा द्वितीय नोटिस कमांक एनएच.148 एन 2019/439 दिनांक 12.2.2020 को जारी किया गया जिसमे ख0न0 84 मे से 0.4677 है0 भूमि अवाप्त करना बताया गया है। इस प्रकार दोनो ही नोटिसो में भी पक्षकारान नाम व अवाप्त रकबा भिन्न-भिन्न है। इसके अतिरिक्त पक्षकारान के मध्य मुताबिक रिकार्ड ख0न0 84 का आपसी सहमति से बटवारा होना बताया है तथा बटवारे के अनुसार नामा0 संख्या 935 दिनांक 11.09.2019 से विभाजित भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अंकन भी किया गया है इसके अतिरिक्त तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी लडडू पुत्र फूल्या व गिर्राज,रामसिंह पुत्र कालू तथा नटी पुत्री कालू गुर्जर के हिस्से की एन.एच.148 के लिए अवाप्त की गयी भूमि का भी पृथक-पृथक विवरण अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.6.2020 मे किया गयाा है। यद्यपि उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन दिनांक 11.9.2020 को हुआ है जो कि प्रथम नोटिस दिनांक 16.2.2019 के पश्चात तथा द्वितीय नोटिस से पूर्व हुआ है। ऐसी स्थिति में भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं आपत्ति के अनुसार सुनवायी का अवसर दिया जाना चाहिए था जो कि नही दिया गया है। अतः उक्त प्रकरण में पक्षकारान को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को पुनः सुनवायी हेतु (Remand) प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी एवं सभी अप्रार्थीगण को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत (संबंधित राजस्व रिकार्ड) प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:46:06 IST
Reason: SelfAttested